श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ,
(मानित विश्वविद्यालय)
बी-४, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र , नई दिल्ली- १६

क्रमांक एफ 3/शै0/पीएच.डी./2016-17/ 348 दिनांक: 20.07.2017

कार्यालय आदेश

दिनांक 03.04.2017 को सम्पन्न विद्वत्परिषद् की बैठक में संकल्प संख्या 7.6 एवं प्रबन्ध मण्डल के संकल्प संख्या 16.4 दिनांक 07.04.2017 के अनुसार अंशकालिक विद्यावारिधि पाठ्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की गई है । इस पाठ्यक्रम के अन्तर्गत यदि कोई शोध छात्र सत्रीय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने के उपरान्त कम से कम छ: माह तक निर्धारित शोध निर्देशक के साथ विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में शोध कार्य सम्पन्न कर लेता है और कहीं सेवारत हो जाता है तो उसके प्रार्थना पत्र एवं उस संस्था के अनापत्ति प्रमाण-पत्र पर सेवायोजक द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने और कुलपति की स्वीकृति के उपरान्त नियमित से अंशकालिक शोध छात्र के रूप में शोध कार्य पूर्ण करने के लिए अनुमति प्रदान की जा सकती है। ऐसे शोध छात्र को भी षाण्मासिक प्रगति विवरण शोध समीक्षा समिति के मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत करना होगा । अंशकालिक शोध छात्र को केवल नियमित उपस्थिति में छूट प्रदान की जायेगी । अन्य प्रक्रिया हेतु उसे विद्यापीठ के शोध नियमावली का पूर्ण एवं अनिवार्य अनुपालन करना होगा ।

सेवारत कर्मचारियों द्वारा सेवा संस्था के अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने एवं प्रवेश प्रक्रिया के नियमों का अनुपालन करने के उपरान्त अंशकालिक शोध छात्र के रूप में पंजीयन की अनुमति शोध मण्डल द्वारा प्रदान की जायेगी। ऐसे शोध छात्र को कम से कम एक वर्ष तक नियमित रूप से विद्यापीठ में शोध कार्य करना होगा तथा सत्रीय पाठ्यक्रम में सहभागिता (कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति) के साथ उसे कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा । ऐसे शोध छात्रों को छ: माह तक शोधनिर्देशक के साथ नियमित रूप से शोध कार्य करना आवश्यक होगा । छ: माह का सत्रीय पाठ्यक्रम एवं छ: माह तक शोधनिर्देशक के साथ नियमित शोध कार्य अत: कुल मिलाकर एक वर्ष तक नियमित छात्र के रूप में शोध-कार्य करना होगा ।

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ-

01. समस्त संकाय प्रमुख/विभागाध्यक्ष
02. छात्रावास अधिष्ठाता
03. कुलानुशासक
04. निदेशक आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ
05. सहायक कुलसचिव (परीक्षा)
06. निजी सचिव, कुलपति
07 निजी सचिव, कुलसचिव
08. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को इस आशय से प्रेषित कि वे सूचना को वेबसाईट पर अंकित करें ।
09. सम्बन्धित पंजिका
10. समस्त सूचना पट्ट

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)